कार्यालय, कलेक्टर जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 27 सितम्बर 2014

क्र.1823.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, सन् 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ (2) में दर्शित नाम से तहसील बेगमगंज, जिला रायसेन के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:—

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल राजस्व ग्राम का नाम व ग्राम का नाम व पटवारी हल्का पटवारी हल्का नंबर नम्बर एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल) (1) (2) मूल ग्राम—सुनवाह गोरखी,

प. ह. नं. 55

प. ह. नं. 55 सुनवाह का कुल क्षेत्रफल-576.001

विभाजन पश्चात् :— सुनवाह का कुल क्षेत्रफल-281.779 गोरखी का कुल क्षेत्रफल-294.222

क्र.1824.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, सन् 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची के स्तम्भ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ (2) में दर्शित नाम के तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:—

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल राजस्व ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नंबर ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल) (2) (1) मूल ग्राम-पड़रई, बूढ़ा प. ह. नं. 69 प. ह. नं. 69 पड़रई का कुल क्षेत्रफल-866.288 विभाजन पश्चात् :--पड़रई का कुल क्षेत्रफल-442.924 बूढ़ा का कुल क्षेत्रफल-423.364

क्र.1826.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, सन् 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों

का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची के स्तम्भ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ (2) में दर्शित नाम से तहसील बाड़ी, जिला रायसेन के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:—

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल राजस्व ग्राम का नाम व ग्राम का नाम व पटवारी हल्का पटवारी हल्का नंबर नम्बर एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल) (2) (1) सिलगैना टोला, मूल ग्राम—गाजीखेड़ी, प. ह. नं. 29 प. ह. नं. 29 गाजीखेड़ी का कुल क्षेत्रफल-653.279 विभाजन पश्चात् :--गाजीखेड़ी का कुल क्षेत्रफल-337.683 सिलगैना टोला का कुल क्षेत्रफल-315.596

क्र.1827.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, सन् 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची के स्तम्भ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ (2) में दर्शित नाम से तहसील रायसेन, जिला रायसेन के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:—

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल राजस्व ग्राम का नाम व ग्राम का नाम व पटवारी हल्का पटवारी हल्का नंबर नम्बर एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल) (1) (2) मूल ग्राम--मुशकाबाद, शक्तिटोला, प. ह. नं. 8 प. ह. नं. 8 मुशकाबाद का कुल क्षेत्रफल-370.456 विभाजन पश्चात् :--मुशकाबाद का कुल क्षेत्रफल-192.982 शक्तिटोला का कुल क्षेत्रफल-177.474

क्र.1828.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, सन् 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची के स्तम्भ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ (2) में दर्शित नाम से तहसील रायसेन, जिला रायसेन के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:—

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर एवं इससे पृथक् किया

राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नंबर

गया क्षेत्रफल)

(1) मूल ग्राम-शाहपुर, प. ह. नं. 13

(2) मोदाटोला. प. ह. नं. 13

शाहपर का कुल क्षेत्रफल-1626.429

विभाजन पश्चात्:--शाहपुर का कुल क्षेत्रफल-970.403 मादाटोला का कुल क्षेत्रफल-202.650

क्र.1829.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, सन 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची के स्तम्भ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ (2) में दर्शित नाम से तहसील रायसेन, जिला रायसेन के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :--

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर एवं इससे पृथक् किया

राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नंबर

गया क्षेत्रफल)

(1) मूल ग्राम-शाहपुर प. ह. नं. 13

(2) भगवन्तपुरा प. ह. नं. 13

शाहपुर का कुल क्षेत्रफल-1626.429

विभाजन पश्चात् :--शाहपुर का कुल क्षेत्रफल-970.403 भगवन्तपुर का कुल क्षेत्रफल-453.376

क्र. —मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, सन् 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदुद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची के स्तम्भ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ (2) में दर्शित नाम से तहसील सिलवानी जिला रायसेन के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:--

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर एवं इससे पृथक् किया

राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नंबर

गया क्षेत्रफल)

(1) मूल ग्राम—कीरतपुर, प. ह. नं. 2

(2) रम्पुरा दाखली प. ह. नं. 2

कीरतपुर का कुल क्षेत्रफल-713.390

विभाजन पश्चात् :--कीरतपुर का कुल क्षेत्रफल-369.430 रम्पुरा दाखली का कुल क्षेत्रफल-343.360

जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सिवनी मध्यप्रदेश

सिवनी, दिनांक 22 सितम्बर 2014

क्र.7020-वित्त-1-2014.- प्रशासनिक दृष्टिकोण से इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी किये गये समस्त आदेशों को अतिक्रमित करते हुये तथा कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2011-वित्त-1-2014 सिवनी, दिनांक 20-9-2014 में आंशिक संशोधन करते हुए जिला कार्यालय में पदस्थ भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मध्य निम्नानुसार कार्य विभाजन किया जाता है. शेष कार्य विभाजन पूर्वानुसार रहेगा.

01. श्री जे. समीर लकरा, अतिरिक्त कलेक्टर/अति. जिला दण्डाधिकारी प्रभारी अधिकारी :--

- 1. भू-अर्जन शाखा
- 2. लायसेंस शाखा-(गन लायसेंस का नवीनीकरण)
- 3. लोकसभा/राज्यसभा/विधानसभा प्रश्नों के लिये नोडल अधिकारी.
- 4. माननीय मुख्यमंत्री जी के भ्रमण से संबंधित तैयारियों के लिये नोडल अधिकारी.
- 5. उप जिला निर्वाचन अधिकारी, केन्द्रीय निर्वाचन.
- 6. कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

02. श्री सौरभ कुमार सुमन, अनुविभागीय अधिकारी/ दण्डाधिकारी केवलारी-प्रभारी अधिकारी :-

- 1. सभी अधिकारियों की दौरा डायरियों के अनुमोदन
- 2. सभी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वेतनवृद्धि, अवकाश स्वीकृत करना.
- 3. सभी तृतीय, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की क्रमोन्नति/पदोन्नति, समयमान वेतनमान प्रदाय संबंधी कार्यवाही के लिये नोडल अधिकारी.
- 4. विभागीय जांच अधिकारी
- 5. सहायक अधीक्षक सामान्य शाखा
- 6. पुरातत्व शाखा
- 7. खनिज शाखा
- 8. लोक सेवा प्रबंधक शाखा
- 9. ई-गर्वेनेश शाखा
- 10. नवाचार एवं पी. पी. पी. मोड की समस्त परियोजनाएं एवं नये प्रस्ताव के नोडल अधिकारी.
- 11. कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.